फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 31.12.2009

अधिकारी / ~~कर्मचारी~~ का (पूरा) नाम डा० एम० के० मिश्रा वर्तमान धारित पद क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक

वर्तमान वेतन रु. 22400/- (मूलवेतन) (पूरा वेतनमान में) अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01.06.2010

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	संपति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया । खरीद पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम एवं ब्यौरा	संपति की वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
पटवारी हल्का क्रमांक-57 ग्राम - किरौना तह - निवास जिला - मंडला	गृह (आबादी में)	3.71 हेक्टेयर	पता नहीं / ज्ञात नहीं /	स्वयं के नाम पर	पारिवारिक विरासत में प्राप्त किया /	रु. 16000/- (लगभग)	—
मकान क्र. 1184, नया कमला नेहरू नगर, रायल हास्पिटल के पीछे, गढ़ारोड, जबलपुर	गृह रकबा - 873 वर्ग फुट	—	ज्ञात नहीं	स्वयं के नाम पर	जी.पी.एफ. एवं बैंक से ऋण लेकर अर्जित किया है /	निरंक	—

- जहाँ लागू न हो काट दीजिए ।
- ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए ।
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं ।

हस्ताक्षर

नाम डा० एम० के० मिश्रा,

पद क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, जबलपुर - सागर संभाग, जबलपुर

टिप्पणी:- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरें दें ।